पत्रांक–2ब० / जला०–01–01 / 2018 46 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट / निबंधित
डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–30/8/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में बुडको द्वारा क्रियान्वित नौबतपुर शहरी जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन हेतु स्वीकृत राशि ₹73.46274 लाख (तेहत्तर लाख छियालीस हजार दो सौ चौहत्तर रु०) मात्र में से राज्य योजना से तत्काल 50 प्रतिशत राशि अर्थात ₹36.73137 लाख (छतीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ सैतीस रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय में वासित प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। निश्चय योजना लागू होने के पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत कई शहरी स्थानीय निकायों में पेयजलापूर्ति योजना स्वीकृत थी तथा इनका कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा था। इन योजनाओं में गृह जल संयोजन का प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना चालू है तथा जिन वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति कार्य किया जा रहा है उन वार्डों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में उसी कार्यकारी एजेंसी द्वारा गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाय ताकि डुप्लीकेसी की संभावना नहीं हो।

2. यह भी निर्णय लिया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से विमुक्त किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय में पंचम् राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की राशि में से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि से नगर निकाय द्वारा कार्यकारी एजेंसी बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि राज्य योजना से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो नगर निकायों से अधियाचना प्राप्त होने पर आवंटित की जाएगी।

3. नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत नौबतपुर शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत गृह जल संयोजन हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 279,

दिनांक– 29.01.2018 द्वारा कुल 709 घरों में गृह जल संयोजन कार्य हेतु ₹75.06889 लाख (पचहत्तर लाख छः हजार आठ सौ नवासी रू०) का प्राक्कलन समर्पित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस योजना में वार्ड सं०– 10 एवं 11 के सम्पूर्ण क्षेत्र को पेयजलापूर्ति से अच्छादित करने हेतु 1800 मीटर अतिरिक्त पाईप लाईन तथा रोड कटिंग एवं restoration का प्रावधान भी किया गया है। प्राक्कलन पर परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. विभागीय अभियंत्रण कोषांग में प्राक्कलन के जाँचोपरांत प्राक्कलन के क्रमांक– 01 एवं 14 तथा कंटिजेंसी की राशि को अमान्य कर दिया गया है। तद्नुसार प्राक्कलन की राशि ₹73.46274 लाख (तेहत्तर लाख छियालीस हजार दो सौ चौहत्तर रू०) है। अतः प्रबंध निदेशक, बुडको के अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत बुडको द्वारा क्रियान्वित नौबतपुर शहरी जलापूर्ति योजना में 1800 मीटर अतिरिक्त पाईप लाईन अधिष्ठापन सहित 709 घरों में गृह जल संयोजन करने हेतु विभागीय पत्रांक– 2151, दिनांक– 11.04.2018 द्वारा उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त कंडिका– 2 के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ– 06 के अनुसार राज्य योजना से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	विभागीय पत्रांक एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्यांश मद से तत्काल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर पंचायत, नौबतपुर	नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत बुडको द्वारा क्रियान्वित नौबतपुर शहरी जलापूर्ति योजना में 1800 मीटर अतिरिक्त पाईप लाईन अधिष्ठापन सहित 709 घरों में गृह जल संयोजन कार्य।	2151/ 11.04.2018	73.46274	36.73137

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹36.73137 लाख (छतीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ सैतीस रू०) मात्र।

इसके लिए CFMS प्रणाली के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा।

6. स्वीकृत कुल ₹36.73137 लाख (छतीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ सैतीस रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 324, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट**

के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बुडको को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि ₹36.73137 लाख (छतीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ सैतीस रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011930101 विषय शीर्ष 0101. 31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

11 **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(ii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–09/2011 के पृष्ठ सं०– 58 /टि० पर दिनांक– 28.08.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 59 /टि० पर दिनांक– 28.08.2018 को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

16. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–09/2011 46 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/8/18

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.08.18

सरकार के विशेष सचिव।